



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05092023-248571  
CG-DL-E-05092023-248571

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3785]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 5, 2023/भाद्र 14, 1945

No. 3785]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 5, 2023/BHADRA 14, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2023

का.आ. 3947(अ).—भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित, अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3800(अ), तारीख 22 अगस्त, 2023 में, क्रम संख्या (क) में, बिंदु (i) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"(i) क्रम संख्यांक 8 में, मद संख्यांक (ख) और (घ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"(ख) प्रवर्ग एम और एन के यानों के लिए पहिया रिमें	आईएस 9436-2018 या आईएस 9438-2018.	22 दिसम्बर, 2023.
(घ) सभी ट्रेलरों और अर्ध ट्रेलरों में लगी पहिया रिमें	आईएस 9438-2018.	22 दिसम्बर, 2023."

[फा.सं. आरटी-11036/17/2021-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1365 (अ), तारीख 13 दिसम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3800(अ), तारीख 22 अगस्त, 2023 द्वारा अंतिम रूप से संशोधित की गई थी।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### CORRIGENDUM

New Delhi, the 5th September, 2023

**S.O. 3947(E).**—In the notification of the of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3800(E), dated the 22<sup>nd</sup> August, 2023, in serial number (a), for point (i), following shall be substituted:-

“(i) In serial number 8, for item number (b) and (d) and the entries relating thereto, the following item number and entries shall be substituted, namely:-

“(b)Wheel rims for vehicles of categories M and N.	IS 9436-2018 or IS 9438-2018.	22 <sup>nd</sup> December, 2023.
“(d)Wheel rims fitted in all trailers and semi-trailers.	IS 9438-2018.	22 <sup>nd</sup> December, 2023.”.

[F. No. RT-11036/17/2021-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

**Note.-** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 1365(E), dated the 13<sup>th</sup> December, 2004 and lastly amended vide notification number S.O. 3800 (E), dated the 22<sup>nd</sup> August, 2023.